

अनुमति की शर्तें ।

- (i) सभा मकान/पूजाघर के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा ।
- (iii) सभा व हा निगम किसी प्रतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iv) सभा निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम का सूचित करेगा ।
- (v) स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

प्रकाश बिड़ड़ी केवल आवासीय इकोनॉमिक प्रोजेक्ट

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 18/ दिनांक 16/07/2019

प्राथी राजेन्द्र कंसपा डी श्री खानलाल कंसपा

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009

धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय

मकान निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश

कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 7000/- जमा

जारीये रसीद संख्या 1028/3881, 3882

दिनांक 16/07/2019 को जमा करा दी है ।

P.No: 99 A अकर नगर श्री क्षेत्र
खसरा संख्या 114 ग्राम चौपासनी
जोधपुर

(Signature)

सहायक नगर नियोजक
नगर निगम, जोधपुर

जी 11
आवासीय

आवासीय
19/7/2019
93513888 S6